राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1395, 1396, 1397, 1398 व 1399/2016..... जिला : जयपुर
मैसर्स सनराईज इन्फोसोल्यूशन,प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन,संभाग–प्रथम, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी प्रथम,वाणिज्यिक कर,जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री ओ.पी.सैनी,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

24.062016

अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये पांचों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पृथक–पृथक पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन,संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14,2014–15 व 15–16 के लिए पृथक–पृथक पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.05.2016 के द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्तियों को स्थगित करते हुए शेष कायम मांग राशि को स्थगित नहीं किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निम्न तालिका के अनुसार सृजित मांग को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है :–

अ.सं.	कर	ब्यज	कुल राशि	स्थगन हेतु राशि
1395/16	2,60,546/–	1,45,195/–	4,05,741/–	3,79,686/–
1396/16	25,71,570/–	11,23,627/–	36,95,197/–	34,38,040/–
1397/16	12,39,077/–	3,92,716/–	16,31,793/–	15,07,885/–
1398/16	3,60,927/–	84,062/–	4,44,989/–	4,80,850/–
1399/16	5,59,106/–	40,655/–	5,99,761/–	5,43,850/–

स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में आलोच्य अवधियों में व्यवहारी द्वारा एल ई डी का विक्रय 9/9.5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त वस्तु के विक्रय को 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर अन्तर कर एवं उस पर अनुज्ञेय ब्याज उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया है। हस्तगत प्रकरणों में कर दर का प्रश्न निहित है। बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार करने के पश्चात, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में स्थगन हेतु शेष रही उपरोक्त तालिका के अनुसार विवादित राशियों का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,89,843/–, 17,19,020/–, 7,53,943/–, 2,40,425/– व 2,71,925/–जमा कराने

की शर्त पर, अवशेष मांग राशि रू. 1,89,843/–, 17,19,020/–, 7,53,943/–, 2,40,425/– व 2,71,925/– की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष